7 (79)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:निस/प्रशास/नविवि/2010/995

जयपुर,दिनांक मई 13, 2010

## आदेश

राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि शहरी एवं स्थानीय निकायों द्वारा संधारित किये जा रहे उद्यानों/पार्को में सिंचाई के लिए फ्लड ईरिगेशन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है जिसमें आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग होता है। राज्य में जल-संकट की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा शहरी एवं स्थानीय निकायों द्वारा संधारित किये जा रहे उद्यानों/पार्कों में सिंचाई हेतु फ्लड ईरिगेशन पद्धति के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है तथा आदेश दिये जाते हैं कि उक्त उद्यानों में सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर पद्धति उपयोग में लाई जावे।

उक्त आदेशों की पालना कड़ाई से सुनिश्चित करावें। उक्त आदेशों के उल्लंघन को राज्य सरकार के स्तर पर गंभीरता से लिया जावेगा।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।
3. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार,जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव